न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 12/2016

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	बनाम्	नरसिंगाराम पुत्र पुरखाराम जाति चौधरी निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर (फर्म केसरी किराणा स्टोर समदड़ी जिला बाड़मेर का प्रोप्राईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. श्री दानसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.02.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 31.08.2015 को प्रातः 11.45 बजे खाध सुरक्षा अधिकारी बसिलसिले निरीक्षण करते हुए फर्म केसरी किराणा स्टोर, समदड़ी जिला बाड़मेर पहुॅचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। नाम व पता पूछने पर अपना नाम नरसिंगाराम पुत्र पुरखाराम जाति चौधरी निवासी करमावास समदड़ी जिला बाड़मेर (फर्म केसरी किराणा स्टोर समदड़ी जिला बाड़मेर का प्रोप्राईटर) होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर अन्य खाद्य सामग्री के साथ–साथ हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल 500–500 ग्राम के 10 पैकेटो में भरी हुई पाई गई। जिसे आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था। हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल में मिलावट का सन्देह होने पर उसमें से दो किलोग्राम (आधा–आधा किलो) खरीदी जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 240/– रूपये किया गया। हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल को चार कागज के पैकेट में नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक पैकेटं पर चिपकाई, उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 561 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–561 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल का नमूना पी–561 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/651/एक्ट/2015/650 दिनांक 14.09.2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना, खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी. 561 की जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किंया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नेाटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से श्री दानसिंह राठौड़ अधिवक्ता एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करते हुए निस्तारण करने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 31.08.2015 को फर्म केसरी किराणा स्टोर, समदड़ी जिला बाड़मेर का निरीक्षण करने पर हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल 500–500 ग्राम के 10 पैकेटो में भरी हुई पाई गई। जिसे आम जनता को विक्रय किया जा रहा था। हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल नमूना पी. 561 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/651/एक्ट/2015/650 दिनांक 14.09.2015 हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल का नमूना पी. 561 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का हल्दी पाउडर ब्राण्ड मजल रखने एवं बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहतं अप्रार्थी नरसिंगाराम पर 5000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 11.02.2017 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज तारीख 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर